3/यो0-30/2017(खण्ड)

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश

(संख्या /2018-19) 05

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार, भा.प्र.से.
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -........18.4.18

विषय : **वित्तीय वर्ष 2018-19 में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना (प्रस्तावित) के अंतर्गत विभिन्न अवयवों/योजनाओं हेतु राज्यांश की राशि कुल रूपये 10561.62 लाख (एक सौ पांच करोड़ एकसठ लाख बासठ हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त् विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत महिलाओं एवं किशोरियों का सर्वागीण विकास एवं सशक्तिकरण, उद्यमिता विकास तथा उनके जीवन में गुणात्मक सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र-योजना प्रस्तावित है। उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न अवयवों/योजनाओं हेतु कुल **रूपये 10561.62 लाख (एक सौ पांच करोड़ एकसठ लाख बासठ हजार)** मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है :-

क्र0	**योजना का नाम**	**विपत्र कोड**	**मूल बजट उपबंध**
1	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	(51-2235021030109)	4392.27
2	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना-विशेष घटक	(51-2235027890107)	5162.45
3	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जनजातीय क्षेत्र उप योजना	(51-2235027960123)	1006.90
		कुल योग (एक सौ पांच करोड़ एकसठ लाख बासठ हजार)	**10561.62**

2. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु स्वीकृत राशि में से 1 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय मद में किया जायेगा।

3. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना तथा जिला स्तर पर संबंधित जिला के सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई घोषित है।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध समाज कल्याण निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998, 3758/वि0 दिनांक-31.05.2017 378/वि0 दिनांक-16.01.2018, 354/वि0 दिनांक-28.03.2018 एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

20/4/18

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0-3/यो0-30/2017(खंड) के टिप्पणी पृ0...02.../टि0 पर दिनांक-17/04/2018 को माननीया विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

7. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0-3/यो0-30/2017(खंड) के टिप्पणी पृ0...03.../टि0 पर दिनांक-18/04/2018 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के उपरांत निर्गत की जा रही है।

8. यह चालू योजना है। अत: महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

(वीरेन्द्र कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- : 3/यो0-30/2017खण्ड/ 05 पटना-15, दिनांक- 18.4.18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग(बजट शाखा)/निदेशक, समाज कल्याण, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, निदेशक, आई0सीडी0एस0, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय/लेखा-शाखा, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- : 3/यो0-30/2017खण्ड/ 05 पटना-15, दिनांक- 18.4.18

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना तथा सभी जिला कोषागार पदाधिकारी एवं सभी उप कोषागार पदाधिकारी तथा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।